	लागतों के लिए किसी प्रतिभूति बांड की वसूली के कोई आदेश को इसके लिए नियत तरीकों से निष्पादित करना होगा ।	
	98. (1) यदि किसी याचिका द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में जिसका चुनाव के सम्बन्ध में सवाल उठाया जाता है तो जिला न्यायाधीश अपने आवश्यकता के अनुसार जाँच करने के पश्चात उनके निर्वाचन को वैध पाता हो तो लागत सहित उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज़ कर देगा । (2) यदि जिला न्यायाधीश यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध था तो वहः– (क) अनियत रिक्ति होने की घोषणा करना होगा; या (ख) दूसरे उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना, जितना भी समय लगा, मामलों के विशेष परिस्थिति में, जो अत्यधिक उचित हो, तथा दूसरे मामले में जिला न्यायाधीश अपने विवेक से खर्च दिला सकेगा । (3) जिला न्यायाधीश द्वारा अनियत रिक्ति की घोषणा करने की स्थिति में चुनाव आयोग को रिक्ति को भरने की कार्यवाही करने का निर्देश देना होगा ।	
	99. (1) धारा 99 में कोई भी तथ्य न होने पर भी यदि जिला न्यायाधीश का मत है कि किसी निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाही पर हुई धांधली का साक्ष्य द्वारा खुलासा करने पर सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यवाही को अलग कर वह निर्वाचित घोषित प्रत्येक उम्मीदवार जिन्हें पहले इस मुकदमा में पार्टी नहीं बनाया गया है, को इस संबंध में प्रतिबंधित आदेश पारित करेगा तथा इसका नोटिस देगा और उस उम्मीदवार को कारण बताएगा कि क्यों यह प्रतिबंधित आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता । (2) उसके बाद प्रत्येक ऐसा उम्मीदवार पेश हो सकता है और कारण बता सकता है और उसे तथा किसी गवाही जो उस मामले में शामिल है, को पुनः बुला सकता है । (3) जिला न्यायाधीश तदपश्चात या तो उस प्रतिबंधित आदेश को रद्द कर देगा अथवा उसे ठीक ठहराएगा और ऐसे मामले में वह चुनाव आयोग को नए सिरे से निर्वाचन कार्यवाही आयोजित करने का निर्देश देगा ।	निर्वाचन से बचना